

पुनर्ग्रहण आदेश

(शासनादेश संख्या- 744/एक-1- 2016- 20(6)/2016 दिनांक जून 03, 2016 के अनुसार)

शासनादेश सं०-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 18.08.1981 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या- 740/ एक-1- 2016- 20(6)/2016, दिनांक- जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी, सोनमद्र, अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित भूमि जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	खजमद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे०) में	भूमि की श्रेणी	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोनमद्र	घोरावल	बड़हर	पेढ़	401ख मि० 504ग 506ग मि० 509क मि० 516ख 541क 507ग मि० योग 07 गाटा	1.0980 1.4170 4.1980 2.5280 1.2850 2.2250 2.5280 15.2550	4(क) सीलिंग	वन विभाग (क्षतिपूर्वक बनीकरण हेतु)

पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा।

(अभिषेक सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनमद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनमद्र।

पत्र सं० - 1295 / डीएलआरसी-भू०पुनर्ग्रहण/2021

दिनांक-

जुलाई
जून-06, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-5 लखनऊ।
- 3- आयुक्त, विन्यासचल मण्डल, मीरजापुर।
- 4- प्रमाणीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, सोनमद्र/ओबरा/ रेनुकूट।
- 5- उप जिलाधिकारी, घोरावल को अनुपालन हेतु प्रेषित।

20/7/21
जिलाधिकारी,
सोनमद्र।

उद्घरण खतीनी (शासकीय)

उद्घरण क्रमांक : 213014202107230

यान क्रमांक : 213014 यान का नाम / परकना : वैद्यकपत्र लक्ष्मीन : धारावाक नमपद : लीनपत्र फरतीनो धर्ष : 1423-1428 भाव : 1

खतीनी क्रमा संख्या	खतीदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	आधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खती के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतीदार द्वारा देव भालगुजारी या भगवान	परिवर्तन संख्या की संख्या तथा दिनांक उद्घरण और आगना देने वाले आधिकारी का पद	दिखनी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
00551	सरकारी कृषि समिति / 0000 / नि. यान	1377फ-	79ख	0.8100		1423फ0 देवें आदेश खाना सं0 574पर दर्ज है सपरकम0 24.11.2016	
		1377फ-	320वमि	3.3770		1424फ- देवें मैनाना आदेश खाना सं0 176 पर दर्ज है, सपरकम0 14.6.2017	
		1377फ-	321घ	1.5180		मुजं0 201916660302847 धारा 38(2) उपर0 राजस्व1. संहिता 2006 लामे0 02.11.2019	
		1377फ-	369	2.0480		न्यायालय उप विभागाधिकारी/असिस्टांट0 शैली धारावाक सोनमद पारित आदेश स्थित मैज देव के	
		1377फ-	378फ	1.0500		खाना संख्या 00551 के खतीनी सन् फरतीनो 1423-1428 के आराजी नं0 74ख0.810फ0 ,	
		1377फ-	380	1.4410		320वमि/3.373,321घ/1.518,369/2.048,378फ	
		1377फ-	392ख	0.5820		11.0500,380/1.441,192ख0.582,397फ0,603,399फ	
		1377फ-	397फ	5.6030		0.897,401ख/6.678,407फ,263,492ख/3.287,493ख	
		1377फ-	399फ	0.8970		0.531,504फ/1.417,508फ,388,507ग	
		1377फ-	401ख	6.6780		5.678,509फमि/2.528,508ख/1.265,541फ	
		1377फ-	407	1.2630		12.225,597ग/1.833,665फ,0.455,723/0.582,734	
		1377फ-	492फ	3.2870		12.275,824/1.226,911फ,0.916/0.228,962	
		1377फ-	493ख	0.5310		0.739फ0 कुल 27 गाटे क्षेत्रों 54,248फ0 भू-राजस्व	
		1377फ-	504ग	1.4170		3.78 सरकारी कृषि देव के क्षेत्रों खती एवं फरती प्रविष्टि	
		1377फ-	506ग	4.3880		निरस्त2 पर यान संख्या देवर खाने में दर्ज हो	
		1377फ-	507ग	5.6780		सपरकम0 20/11/2019	
		1377फ-	509फमि	2.5280			
		1377फ-	516ख	1.2650			
		1377फ-	541फ	2.2250			

धर्षी : 4-फ/उ.प. अधिकारम जोत सैम आरापण.अधि.अन्तर्गत अधिकारी नहीं अतिरिक्त धर्षी (फ)जो उ.प.जोत सी.आ.के उपखण्डों केउपगत किसी अन्तर्गत अथवा के.विश्वे किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो।

[illegible]

श्रुता 1.30-14-रात्रिभुक्तान् पुनः शयनं निर्वहन् निर्वहन्
 आत्मा 73.4ति रक्ता 0.1625श्रुता 1.30-15-
 यत्नैः भुक्तान् पुनः शयनं निर्वहन् आत्मा 73.4ति रक्ता
 0.1625श्रुता 1.30-16-रात्रिभुक्तान् पुनः शयनं निर्वहन्
 आत्मा 73.4ति रक्ता 0.1625श्रुता 1.30-17-
 शयनं पुनः शयनं निर्वहन् आत्मा 73.4ति रक्ता
 0.1625श्रुता 1.30-18-रात्रिभुक्तान् पुनः शयनं निर्वहन्
 आत्मा 73.4ति रक्ता 0.1625श्रुता 1.30-19-रात्रिभुक्तान्
 शयनं पुनः शयनं निर्वहन् आत्मा 73.4ति रक्ता 0.1625
 02-04-2021

